

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

ईमेल/अपलोड

क्रमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/2025-02966

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक 6-1-2025

**गेहूं आवंटन आदेश माह फरवरी, 2026**  
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्ट V (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रानुसार **माह फरवरी, 2026** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

| गेहूं आवंटन की श्रेणियां ( Categories ) |                 |          |
|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| श्रेणी                                  | शीर्षक          | दर       |
| प्रथम                                   | AAY, BPL & SBPL | निःशुल्क |
| द्वितीय                                 | PHH (Others)    | निःशुल्क |

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 13.12.2025 की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- माह फरवरी, 2026 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव तत्काल प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5- आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

- 7- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 8- गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से ब्लूटूथ के जरिये जुड़े वेईग-स्केल पर गेहूं का वास्तविक वजन देखने के बाद उसके माध्यम से जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 9- सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें। जिला रसद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी उचित मूल्य दुकान पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक एकत्रित न होने पावे।
- 10- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 11- माह फरवरी, 2026 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावे।
- 12- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- 13- माह फरवरी, 2026 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।  
विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोट:-माह फरवरी, 2026 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति वर्तमान टेण्डर अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील पूनिया) 11/25  
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव  
(सुनील पूनिया)  
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2025-02966 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक 6-1-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम आवंटित गेहूँ की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी संबंधित से ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

(सुनील पूनियाँ)

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

## NFSA Regular Wheat Allotment February-2026

| Sr. No. | District         | Category wise Net allotment   |                               |                                |                               | Final Allotment (M.T.) |
|---------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|         |                  | Net NFSA AAY Allotment (M.T.) | Net NFSA BPL Allotment (M.T.) | Net NFSA SBPL Allotment (M.T.) | Net NFSA APL Allotment (M.T.) |                        |
| 1       | 2                | 3                             | 4                             | 5                              | 6                             | 7=3+4+5+6              |
| 1       | Ajmer            | 376.487                       | 583.052                       | 241.649                        | 4658.556                      | 5859.744               |
| 2       | Alwar            | 362.840                       | 887.375                       | 261.455                        | 4881.229                      | 6392.899               |
| 3       | Balotra          | 303.300                       | 911.623                       | 118.295                        | 2703.512                      | 4036.730               |
| 4       | Banswara         | 1390.049                      | 1976.425                      | 582.970                        | 3144.519                      | 7093.963               |
| 5       | Baran            | 1448.775                      | 721.434                       | 152.445                        | 2677.390                      | 5000.044               |
| 6       | Barmar           | 439.108                       | 1134.976                      | 192.573                        | 3921.346                      | 5688.003               |
| 7       | Beawar           | 416.560                       | 657.904                       | 210.173                        | 2736.697                      | 4021.334               |
| 8       | Bharatpur        | 271.689                       | 797.831                       | 193.908                        | 3606.539                      | 4869.967               |
| 9       | Bhilwara         | 758.293                       | 1276.187                      | 419.949                        | 4373.599                      | 6828.028               |
| 10      | Bikaner          | 341.028                       | 1634.923                      | 344.548                        | 3376.801                      | 5697.300               |
| 11      | Bundi            | 408.330                       | 650.342                       | 182.105                        | 2751.678                      | 3992.455               |
| 12      | Chittaurgarh     | 845.584                       | 790.769                       | 508.364                        | 2514.820                      | 4659.537               |
| 13      | Churu            | 665.747                       | 1611.678                      | 328.617                        | 3795.154                      | 6401.196               |
| 14      | Dausa            | 308.839                       | 961.885                       | 148.841                        | 3884.220                      | 5303.785               |
| 15      | Deeg             | 213.810                       | 555.498                       | 136.676                        | 2957.991                      | 3863.975               |
| 16      | Dhaulpur         | 265.245                       | 582.618                       | 121.452                        | 3085.326                      | 4054.641               |
| 17      | Didwana-         | 243.744                       | 653.995                       | 137.978                        | 4842.466                      | 5878.183               |
| 18      | Dungarpur        | 1016.435                      | 2179.857                      | 299.097                        | 2377.802                      | 5873.191               |
| 19      | Ganganagar       | 359.848                       | 1177.782                      | 130.768                        | 4019.714                      | 5688.112               |
| 20      | Hanumangarh      | 416.418                       | 877.425                       | 148.484                        | 3123.260                      | 4565.587               |
| 21      | Jaipur           | 350.816                       | 1260.738                      | 390.851                        | 11001.394                     | 13003.799              |
| 22      | Jaisalmer        | 185.462                       | 364.556                       | 87.900                         | 1322.971                      | 1960.889               |
| 23      | Jalor            | 685.306                       | 1321.968                      | 284.965                        | 3607.667                      | 5899.906               |
| 24      | Jhalawar         | 571.198                       | 1080.408                      | 260.858                        | 3635.297                      | 5547.761               |
| 25      | Jhunjhun         | 295.815                       | 489.312                       | 190.055                        | 5350.501                      | 6325.683               |
| 26      | Jodhpur          | 173.100                       | 1013.427                      | 111.693                        | 6046.377                      | 7344.597               |
| 27      | Karauli          | 480.797                       | 1221.251                      | 216.814                        | 2651.366                      | 4570.228               |
| 28      | Khairthal-Tijara | 149.253                       | 203.880                       | 103.048                        | 2263.685                      | 2719.866               |
| 29      | Kota             | 304.476                       | 947.847                       | 146.386                        | 3400.943                      | 4799.652               |
| 30      | Kotputli-Behror  | 172.434                       | 457.120                       | 180.800                        | 3267.781                      | 4078.135               |
| 31      | Nagaur           | 281.623                       | 578.737                       | 189.534                        | 4448.724                      | 5498.618               |
| 32      | Pali             | 397.437                       | 873.141                       | 208.121                        | 3427.756                      | 4906.455               |
| 33      | Phalodi          | 91.359                        | 443.864                       | 49.763                         | 1680.365                      | 2265.351               |
| 34      | Pratapgarh       | 472.349                       | 951.294                       | 226.821                        | 1853.816                      | 3504.280               |
| 35      | Rajsamand        | 565.136                       | 755.133                       | 212.619                        | 2295.410                      | 3828.298               |
| 36      | Salumbar         | 398.545                       | 890.060                       | 191.566                        | 898.487                       | 2378.658               |
| 37      | Sawai Madhopur   | 489.502                       | 743.279                       | 250.914                        | 3013.544                      | 4497.239               |
| 38      | Sikar            | 258.355                       | 729.789                       | 160.284                        | 7067.655                      | 8216.083               |
| 39      | Sirohi           | 311.415                       | 488.805                       | 161.583                        | 2438.894                      | 3400.697               |
| 40      | Tonk             | 500.481                       | 807.381                       | 305.903                        | 3380.725                      | 4994.490               |
| 41      | Udaipur          | 1219.677                      | 2265.223                      | 474.183                        | 3931.194                      | 7890.277               |
| Total   |                  | 19206.665                     | 38510.792                     | 9265.008                       | 146417.171                    | 213399.636             |